



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र

उत्तर प्रदेश वन निगम,

संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज - 211001

दूरभाष 0532-2427536
ई-मेल - rmail@upfc.in



पत्रांक 1895 / तेन्दू पत्ता बिक्री
सेवा में,

/दिनांक 11/2/2026
ई-मेल

प्रमाणीय विक्रय प्रबन्धक/विक्रय अधिकारी
उत्तर प्रदेश वन निगम,
दुखी/झौंसी/वासणसी।

विषय- तेन्दू पत्ता तृतीय ई-निविदा दिनांक 18/19/20.02.2026 की बिक्री सूची एवं शर्तों का प्रेषण।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक-1882/ते0प0 बिक्री/ दिनांक-10.02.2026
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 18/19/20.02.2026 को आमंत्रित वर्ष 2026 सीजन हरे तेन्दूपत्ता लाटों की अग्रिम बिक्री हेतु ऑन-लाईन तृतीय ई-निविदा की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्तों एक प्रति में एतदसह संलग्नकर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री सूची ई-निविदा सूचना एवं बिक्री शर्तों को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रमारी अधिकारी (कम्प्यूटर) उत्तर प्रदेश वन निगम को भेजा जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुजॉय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक-1895 / तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपर्युक्त बिक्री सूची ई-निविदा सूचना एवं बिक्री शर्तों आपको ई-मेल से भी भेज दिया गया है-

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता/पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।

(सुजॉय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज							
वर्ष-2026 में हरे तेन्दू पत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु बिक्री का सूची प्रेषण							
रेनुकूट लौगिंग प्रभाग तेन्दू पत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष-2026							
क्रम सं०	लाट सं०/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-A-04/26	सोनभद्र	रेनुकूट	अनपरा	वियहवा	वियहवा	100.00
						बड़हरा-अ	100.00
						बड़हरा-ब	100.00
						बड़हरा-स	100.00
						अमहवा	100.00
						5	500.00
					1	5	500.00
2	R-A-14/26	सोनभद्र	रेनुकूट	म्योरपुर	जामपानी	खेतारी-1	200.00
						खेतारी-2	200.00
						पनिहानार	200.00
						3	600.00
3	R-A-16/26				बलेरी	बलेरी	400.00
						1	400.00
4	R-A-18/26				सागोबोध	फुरीपान	100.00
						कोगा	200.00
						सागोबांध	100.00
						3	400.00
					3	7	1400.00
5	R-A-24/26	सोनभद्र	रेनुकूट	बभनी-1	अधौरा	अधौरा	100.00
						सतबहनी	100.00
						दड़देवा	100.00
						कुण्डपान	100.00
						4	400.00
6	R-A-26/26				डुमरहर	कन्हैयाडांड-1	100.00
						कन्हैयाडांड-2	100.00
						सेमरिया टोला	100.00
						बरडांड	100.00
						4	400.00
7	R-A-27/26				करमघट्टी	मगरमाड़	100.00
						झझरिमन्दा	100.00
						अम्माडांड	100.00
						किरी माटी	100.00
						4	400.00
8	R-A-28/26				चकबदरी	चैनपुर	200.00

						मुनगाडीह	100.00
						तिरकटवा	100.00
						3	400.00
9	R-A-29/26				मचबन्धवा	बगलतवा	100.00
						चकसानी	100.00
						मचबन्धवा	100.00
						सरईदहा	100.00
						धनवार	100.00
						झनकपुर	100.00
						सागसोती	100.00
						तेन्दूअल	100.00
						8	800.00
10	R-A-30/26				करचाटोला	गायदहा	100.00
						जोवेदहा	100.00
						पिपराखास	100.00
						रनदहा	100.00
						4	400.00
11	R-A-32/26				आसनडीह	आसनडीह-1	200.00
						आसनडीह-2	200.00
						छिपिया	200.00
						एकदरी-1	200.00
						एकदरी-2	200.00
						पिपराखाड़	200.00
						6	1200.00
12	R-A-34/26				बैना	सरपोकाइंडी	200.00
						बहेराडोल	200.00
						बैना	100.00
						3	500.00
					8	36	4500.00
13	R-A-35/26	सोनमद्र	रेनुकूट	बमनी-2	सुन्दरी	धूमा	400.00
						1	400.00
14	R-A-37/26	सोनमद्र	रेनुकूट	जरहा	मजीठ	महुआ दोहर-1	200.00
						महुआ दोहर-2	100.00
						मझौली	200.00
						नवाटोला	100.00
						शीशटोला	100.00
						5	700.00
15	R-A-38/26				महुली-अ	जलजलिया-1	200.00
						जलजलिया-2	100.00
						औराडांड	200.00
						मैनहवा	200.00
						धौरहवा	100.00

16	R-A-39/26					5		800.00
					महुली-ब	विछियारी-1		1000.00
						विछियारी-2		500.00
						विछियारी-3		500.00
						3		2000.00
17	R-A-40/26				जरहा पूर्वी-अ	दनुआ		200.00
						रजमिलान		200.00
						हड़वरिया		200.00
						3		600.00
18	R-A-42/26				इंजानी	बकरिहवा		200.00
						नवाटोला		200.00
						2		400.00
19	R-A-43/26				जरहा पश्चिमी	चेतवा		200.00
						जहरीडाढ़		200.00
						2		400.00
20	R-A-44/26				डोडहर	धौरहवा		300.00
						डोडहर		300.00
						नकटू		300.00
						3		900.00
21	R-A-45/26				नेमना	नेमना		300.00
						कूदर-1		300.00
						कूदर-2		300.00
						नवाटोला		200.00
						समथहवा		300.00
						5		1400.00
					8	28		7200.00
22	R-A-48/26	सोनभद्र	रेनुकूट	दुद्धी	मलदेवा	जपला-1		200.00
						जपला-2		200.00
						2		400.00
23	R-A-59/26	सोनभद्र	रेनुकूट	विण्ढमगंज	जोरुखाड़	जोरुखाड़-1		200.00
						जोरुखाड़-2		200.00
						जोरुखाड़-3		100.00
						3		500.00
24	R-A-60/26				हरनाकछार- अ	नवाटोला		200.00
						घिवही		300.00
						हरनाकछार		200.00
						3		700.00
25	R-A-62/26				धूमा अ	सुखड़ा		800.00
						1		800.00
26	R-A-64/26				जाताजुआं	बोम		200.00
						जाताजुआ		200.00
						महुली		200.00

						परासपानी	200.00
						सुहेलदोहर	200.00
						5	1000.00
					4	12	3000.00
27	R-A-65/26	सोनभद्र	रेनुकूट	बघाडू	बघाडू	जरहर	500.00
						1	500.00
28	R-A-68/26				गौरसिंहा	गौरसिंहा-1	300.00
						गौरसिंहा-2	300.00
						विट्ठलदामर	100.00
						परसाही टोला	100.00
						4	800.00
29	R-A-69/26				नीमियाडीह	नौडीहा-1	100.00
						नौडीहा-2	200.00
						मधुबन	100.00
						करवा	200.00
						खैरटिया-1	200.00
						खैरटिया-2	200.00
						क्षत्रीटोला	200.00
						7	1200.00
30	R-A-70/26				गुलालझरिया	धाराटोला	300.00
						महुअरिया	300.00
						2	600.00
					4	14	3100.00
31	R-A-75/26	सोनभद्र	ओबरा	कोन	रामगढ	नरहट्टी	200.00
						खेमपुर	200.00
						कोलडिहवा	200.00
						रामगढ	200.00
						नौडिहा	200.00
						निगाई	200.00
						कुसियारा	200.00
						गइयावथान	200.00
						8	1600.00
					1	8	1600.00
32	R-A-86/26	सोनभद्र	ओबरा	ओबरा	नवाटोला	सुखडा	100.00
						भौराकुण्ड	100.00
						बैरपुर	100.00
						मगरदहा	100.00
						कैजूयारी	100.00
						सलेहवा	100.00
						नवाटोला	100.00

						7	700.00
33	R-A-87/26				नदहरी	नदहरी	100.00
						नदहरा	100.00
						सागरदह	100.00
						गाढापाथर	100.00
						खैरिहवा	100.00
						पिलधरवा	100.00
						कुरकटिया	100.00
						7	700.00
34	R-A-88/26				अमरसोता	टेवनिहवा	100.00
						खैराही	100.00
						अमरसोता	100.00
						खाडर	100.00
						छत्ताडांड	100.00
						धनवहवा	100.00
						खवहिवा	100.00
						7	700.00
35	R-A-89/26				पनारी	करमसार	100.00
						बकिया	100.00
						फफराकुण्ड	100.00
						जुरा	100.00
						खडरा	100.00
						खडरी	100.00
						6	600.00
					4	27	2700.00
36	R-A-92/26	सोनभद्र	ओबरा	जुगैल	जुगैल	जुगैल	100.00
						करवनीया	100.00
						खोखरीडाड	100.00
						सिदहवाडाड	100.00
						दुबटीया	100.00
						हरदहवा	100.00
						खैरहवा	100.00
						गायघाट	100.00
						गौरा	100.00
						जोरवा	100.00
						बहेराडाड	100.00
						कपसौर	100.00
						12	1200.00
37	R-A-93/26				भरहरी	चकदहिया	100.00
						पेडरहवा	100.00

					पोशिला	100.00
					तेलिया	100.00
					बिछरी	100.00
					भीतरी	100.00
					भरहरी	100.00
					7	700.00
38	R-A-94/26			गर्दा	कुड़निया	100.00
					जलकुडवा	100.00
					हर्पाडाड	100.00
					पुसरेंव	100.00
					गर्दा	100.00
					जुगैल	100.00
					पंचपेडिया	100.00
					7	700.00
39	R-A-95/26			बेलगढी	बेलगढी	100.00
					बूटी	100.00
					चरका	100.00
					पटवाटोला	100.00
					गर्दी	100.00
					चकवडिया	100.00
					सेमरा	100.00
					बोंडी	100.00
					धौरहवा	100.00
					मझौली	100.00
					परासपानी	100.00
					11	1100.00
				4	37	3700.00
कुल योग				इकाई	फड	28500.00

मीरजापुर लौगिंग प्रभाग तेन्दू पत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष-2026

	लाट सं०/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेन्ज का नाम	इकाई का नाम	फड का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो०)
	1	2	3	4	5	6	7
1	M-A-4/2026	चन्दौली	काशी वन्य जीव वन प्रभाग रामनगर वाराणसी	चन्द्रप्रभा	04- शिकारगंज	नेवाजगंज	100.000
						शिकारगंज	150.000
						पुरानाठीह	50.000
						बोदलपुर	50.000
						चिलरहा	50.000
						योग-	400.000
2	M-A-12/2026			मझगाई	01-हरदहवा	मझगाई	50.000
						मझगावा	50.000
						बसौली	100.000
						जरहर	100.000
						योग-	300.000
3	M-A-15/2026			मझगाई	04- साडसोत	केसार	50.000

						महदेवा	50.000
						साडसोत	100.000
						बैरगाढ	100.000
						योग-	300.000
4	M-A-17/2026			मझगाई	06-चिकनी	चिकनी	50.000
						पढौती	50.000
						धोबही	100.000
						मगरही	100.000
						योग-	300.000
				सेक्सन का योग 04 इकाई		योग-	1300.000
5	M-A-21/2026	सोनमद	सोनमद वन प्रभाग	पटना	04-पटना	दिनारी	100.000
						करवनियों	150.000
						बैजनाथ	150.000
						योग-	400.000
6	M-A-23/2026			रामगढ	01-सिलहट	नउआसोती	100.000
						किरुहुलिया	100.000
						गुल्लीडाड	50.000
						नेवारी	50.000
						योग-	300.000
				सेक्सन का योग 02 इकाई		कुलयोग-	700.000
7	M-A-29/2026	मिर्जापुर	कैमूर वन जीव वन प्रभाग मिर्जापुर	घोरावल	01-पुरना	गुरहवा	50.000
						नौगढवा	100.000
						कठहवा फार्म (जुडिया गबहवा)	150.000
						योग-	300.000
				सेक्सन का योग 01 इकाई		कुलयोग-	300.000
8	M-A-33/2026	मिर्जापुर	मिर्जापुर वन प्रभाग	चुनार	01-सुकृत/खोराडी ह	पतबाई/काडिया/रमसगरा	150.000
						खोरिया/वनसत्ती/ल तरिहवा	150.000
						योग-	300.000
				सेक्सन का योग 01 इकाई		कुल योग-	300.000
19	M-A-34/2026			सुकृत	02-मधुपुर	तालर/चन्दनपुर	100.000
						गुलरहवा/जरलहवा	100.000
						नागनाथ हरैया/खानेआजम	100.000
						योग-	300.000
10	M-A-36/2026	मिर्जापुर	मिर्जापुर वन प्रभाग	पटेहरा	02-अतरैला	सिरसी	150.000
						पटेहरा	150.000
						योग-	300.000
				सेक्सन का योग 02 इकाई		कुलयोग-	300.000
11	M-A-37/2026	मिर्जापुर	मिर्जापुर वन प्रभाग	झमण्डगंज	01-सोनगढा	राजपुर	50.000
						किरहिया पटटी	50.000
						नौडिहवा	50.000
						देई ए	50.000

						डिभोर	50.000
						देई बी	50.000
						खटखरिया	50.000
						पवारी	100.000
						भक्तवा	50.000
						योग-	500.000
12	M-A-39/2026		डूमण्डगंज	03-भैसोड	भैसोड 1	150.000	
					भैसोड 2	150.000	
					योग-	300.000	
13	M-A-40/2026		डूमण्डगंज	04-डूमण्डगंज	महुगढी	50.000	
					चन्द्रगढ	50.000	
					भैसोडजर	100.000	
					डूमण्डगंज	100.000	
					योग-	300.000	
14	M-A-41/2026		डूमण्डगंज	05-बबुरा	खोदाईपुर	50.000	
					सगहा	50.000	
					किरका	50.000	
					पथरहवा	50.000	
					मुंडेल	50.000	
					मडवा 1	50.000	
					गडबडा	50.000	
					मडवा 2	50.000	
					योग-	400.000	
				सेक्सन का योग 04 इकाई	योग-	1500.000	
		लौगिंग प्रभाग का योग		सेक्सन में कुल 14 इकाई	कुलयोग-	4700.000	

प्रयागराज लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2026

क्र०सं०	लाट सं०/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेज	इकाई का नाम	फंड का नाम	तेन्दू पत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा० बो० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PA-3/2026	प्रयागराज	प्रयागराज	कोरांव	बडोखर प्रथम	1-छापर	50.000
						2-हरदौन	50.000
						3-गाढा	50.000
						4-झलमल	50.000
						5-मझगवाँ	50.000
						योग-	250.000
2	PA-4/2026	प्रयागराज	प्रयागराज	कोरांव	बडोखर द्वितीय	1-भवानीपुर	100.000
						2-हण्डिया	100.000
						3-नेवरहवा	100.000
						4-तलरी	150.000
						5-बसहा	100.000
						योग-	550.000
3	PA-5/2026	प्रयागराज	प्रयागराज	शंकरगढ	शंकरगढ	1-अमिलिहाई	50.000
						2-रैपटना (बाहरी श्रमिक)	50.000
						योग-	100.000

	प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग:-	कुल योग:-	900.000
	प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग:-		34100.000

झांसी लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2026

क्र० सं०	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	सेक्शन का नाम	इकाई का नाम	फंड का नाम	ते०प० बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा०बो० में)
1	2	3	2	3	4	5
1	L-A 01/2026-27	झांसी उरई ललितपुर	तालबेहट	बार	बाजना	50.000
					बघौली	50.000
					बार	100.000
					बम्होरी खडैत	100.000
					बुडेरा	50.000
					जखौरा	50.000
					गैदोरा	50.000
					दैलवारा	50.000
					बिरोरा	50.000
					योग	550.000
2	L-A 02/2026-27	ललितपुर	जाखलौन	जाखलौन	जाखलौन अ	100.000
					जाखलौन ब	50.000
					गनेशपुरा अ	75.000
					गनेशपुरा ब	50.000
					सगोरिया	75.000
					बंट	150.000
					योग	500.000
3	L-A 03/2026-27	ललितपुर	सैपुरा	सैपुरा	सैपुरा	100.000
					रमपुरा	100.000
					जमुनियां	250.000
					योग	450.000
4	L-A 04/2026-27	ललितपुर	पाली	पाली	पाली अ	150.000
					पाली ब	50.000
					सिमरधा	50.000
					पिपरियाजागीर	300.000
					योग	550.000
5	L-A 05/2026-27	ललितपुर	बालाबेहट	बालाबेहट	बालाबेहट	100.000
					मुडारी	50.000
					बांसपुर	50.000
					सैपुराखालसा	50.000
					चौतराघाट	50.000
					योग	300.000
6	L-A 06/2026-27	ललितपुर	पठराई	पठराई	रसोई	200.000
					किरौदा	50.000
					महोली	150.000
					पठराई	50.000
					दूधई	150.000
					डुगरिया	75.000

					बम्हौरीबंशा	75.000
					योग	750.000
7	L-A 07/2026-27	ललितपुर		कनपुरा	ठगारी	50.000
					चन्देरा	100.000
					मामदा	50.000
					कैथोरा	100.000
					पडना	100.000
					योग	400.000
						3500.000
8	L-A 08/2026-27	ललितपुर	गौना	गौना	गौना अ	150.000
					गौना ब	150.000
					अमझराघाटी अ	150.000
					अमझराघाटी ब	150.000
					डोंगरा	50.000
					बरौदिया राइन	50.000
					क्योलारी	50.000
					योग	750.000
9	L-A 10/2026-27	ललितपुर		दौलतपुर	दौलतपुर	100.000
					डोंगरा खुर्द अ	350.000
					डोंगरा खुर्द ब	100.000
					दिगवार	150.000
					योग	700.000
10	L-A 11/2026-27	ललितपुर		पारौल	पारौल अ	250.000
					पारौल ब	200.000
					पारौल स	200.000
					पटना अ	100.000
					पटना ब	100.000
					योग	850.000
						2300.000
11	L-A 12/2026-27	ललितपुर	मडावरा	पिसनारी	पिसनारी	350.000
					रजौला	150.000
					गोरा अ	300.000
					गोरा ब	100.000
					लिधौरा	100.000
					योग	1000.000
12	L-A 13/2026-27	ललितपुर		घोरीसागर	घोरी	200.000
					सागर	100.000
					कुर्ट	150.000
					लखन्जर	100.000
					जैतूपुरा	50.000
					किशनपुरा	100.000
					योग	700.000
13	L-A 14/2026-27	ललितपुर		गौठरा	बारई	50.000
					गौठरा	100.000
					पापड़ा	50.000
					हीरापुर	50.000
					योग	250.000

14	L-A 16/2026-27	ललितपुर
15	L-A 17/2026-27	ललितपुर
16	L-A 18/2026-27	ललितपुर
17	L-A 19/2026-27	ललितपुर
झांसी वन प्रभाग का कुल योग		

सौरई	सौरई अ	75.000
	सौरई ब	75.000
	जलधर	75.000
	भौती अ	300.000
	भौती ब	75.000
	खैरपुरा	50.000
	बिरीदा	250.000
	योग	900.000
दिदौनिया	दिदौनिया	150.000
	मदनपुर	50.000
	अमौदा	150.000
	योग	350.000
नीमखेड़ा	नीमखेड़ा	300.000
	गोरा खुर्द	100.000
	पहाड़ीकलां	200.000
	योग	600.000
बम्होरी खुर्द	टोरी	50.000
	टोरीखेड़ा	150.000
	हिलगन	150.000
	नयाखेरा	50.000
	गनेशपुरा	50.000
	बड़वार	50.000
	गरीली	50.000
	मानपुरा	50.000
	योग	600.000
	योग	4400.000
झांसी वन प्रभाग का कुल योग		10200.000

कर्वी लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2026

क्र०सं०	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड का नाम	तेन्दूपत्ता विक्री की अनुमातिन मात्रा (मा०बो०मे)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	K-A 1/26	बाँदा	बाँदा	बाँदा	सदा	बहादुरपुर	50.000
						नौहाई	50.000
						आनन्दपुर	50.000
						नाथू का पुरवा	50.000
						चिल्लहा	50.000
						दुलरिया कुआ	50.000
						गोले का पुरवा	50.000
						भवानीपुर	100.000
						गड्डिहा	50.000
						कटरा	100.000
						सकतपुर	50.000
						रगौली	50.000
						छितेनी	50.000
						गजपतिपुर	50.000
						प्रसिद्धपुर	50.000
						बल्देवपुरवा	50.000
					इकाई का योग—	16 फड	900.000

2	K-A 3/26	महोबा	महोबा	महोबा	बघौरा	बघौरा	50.000
						लडपुरा	50.000
						बछेछर	50.000
						इन्दौरा	50.000
					इकाई का योग—	4 फड़	200.000
					अतर्रा सेक्शन का योग—	20 फड़	1100.000
3	K-A 12/26	चित्रकूट	चित्रकूट	कवी	दुगवा	ढोलबजा	150.000
						मुकुन्दपुर	50.000
						दुगवा	100.000
						बरहाई	100.000
						महादेवन	150.000
						खरैहा	100.000
						हरिहरपुर	100.000
						बन्दरी	50.000
						रामपुर	100.000
					इकाई का योग—	9 फड़	900.000
4	K-A 28/26	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ़	गढ़वा	गढ़वा	300.000
						गजरी	300.000
						कोटराखामा	250.000
						चदई	150.000
						औरवा	100.000
					इकाई का योग—	5 फड़	1100.000
5	K-A 31/26	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ़	बबुरी	छिवलहा	200.000
						बबुरी प्रथम	100.000
						बबुरी द्वितीय	200.000
						तिलिहा	150.000
						खपटिहा 1	100.000
						खपटिहा 2	100.000
						कुल्लूबाध	50.000
					इकाई का योग—	7 फड़	900.000
					कुलयोग—	41 फड़	4000.000
लखनऊ क्षेत्र का कुल योग:—							14200.000
प्रयागराज क्षेत्र एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग:—							48300.000

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
पत्रांक - 1882 / ते०प्र० अग्रिम बिक्री 2026 / दिनांक - 10.02.2026
सेवा में,

श्री आर०डी०

एडवर्स्टाइजिंग प्र० लि०,

257, चक, जीरो रोड, प्रयागराज।

विषय- तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 11.02.2026 को कम से कम स्थान में (Size 6cm*7cm=42 Sq Cm में) केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।-

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भास्कर, रायपुर एवं जबलपुर।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं सँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाइम्स आफ इंडिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, पटना, सँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।



उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल,
सिविल लाइन्स, प्रयागराज
दूरभाष - +91532-2427536, ई-मेल - rmail@upfc.in

वर्ष 2026 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु
ई-निविदा सूचना का सारांश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026 सीजन हरे तेन्दूपत्ता लटों की अग्रिम बिक्री किये जाने हेतु तृतीय ई-निविदा आगन्तित की जाती है। आनलाईन तृतीय ई-निविदा प्रारम्भ करने की तिथि 18.02.2026 को समय 11.00 AM से प्रारम्भ होकर आनलाईन तृतीय ई-निविदा प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 20.02.2026 को 3.30 PM बजे तक केवल उ०प्र० वन निगम की वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <http://upfctendupatta.in> में आनलाईन ई-निविदा दी जा सकती है। जो अन्तिम तिथि को सायंकाल 4.00 बजे खोली जायेगी।

ई-निविदा हेतु वर्ष 2026 के लिये तेन्दूपत्ता के विनिर्माता/व्यापारी को उ०प्र० वन निगम के विक्रय प्रमाण, दुद्री, वाराणसी एवं झाँसी कार्यालय में अथवा ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है। समस्त इच्छुक निविदाकारों को ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.upforestcorporation.co.in एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <http://upfctendupatta.in> पर दिये गये प्रक्रिया के अनुसार ई-निविदा में भाग लेने हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।

निविदा हेतु निविदा सूचना, लाट सूची तथा अन्य परिशिष्टों सहित दिनांक 12.02.2026 को केवल उत्तर प्रदेश वन निगम, की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय

(सुजीय बैनर्जी)

महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक-1282/ते040/विकय/दिनांक- 10.02.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्रांक ते040-7409/ते040 अग्रिम बिक्री 2026/दिनांक-31.12.2025 के क्रम में।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, प्रयागराज, मीरजापुर, कानपुर, बुन्देलखण्ड झाँसी व बरेली।
4. महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, विपणन/उत्पादन/पूरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।
6. वन संरक्षक, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झाँसी एवं विज्जकूट।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नर/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, विज्जकूट, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं ज्योतिबा फुले नगर।
10. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मीरजापुर, ओबरा, रेबुकूट, सोनभद्र, बैंगूर वन्य जीव, भदोही, काशी वन्य जीव रामनगर-वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, बौदा, विज्जकूट, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर व उरई (जालौन), रायबरेली, अमेठी।
11. समस्त प्रभागीय लॉगिंग/विकय प्रबन्धक, लॉगिंग अधिकारी/विकय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र।
12. प्रभागीय विकय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीबाबाद (सहारनपुर)।
13. प्रभागी अधिकारी (कम्प्यूटर) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस नितिदा सूचना को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. तेन्दूपत्ता कैंटा गण को डाक से।
15. कार्यालय सूचना पट।
16. प्रभागी लेखाधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुजॉय देनजी)
महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक



हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु ई-निविदा नियम एवं शर्तें

1. उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1807/14-2-29/83, दिनांक 07 अप्रैल 1983 द्वारा उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (वर्ष 1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-19) की धारा-04 की उपधारा (1) सहपठित उत्तर प्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1972 के नियम 3 (7) के अधीन उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को ऐसे समस्त जिलों में जहाँ पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ हो, तेन्दूपत्ते का कय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का "अभिकर्ता" नियुक्त किया गया है।
2. उ0प्र0 वन निगम द्वारा तेन्दूपत्ते की हरी अवस्था में ही कय करने के इच्छुक व्यक्तियों, पंजीकृत फर्मों, बीडी निर्माताओं से अग्रिम ई-निविदायें आवश्यकतानुसार माह दिसम्बर से माह मार्च तक आमंत्रित की जायेगी।
3. अग्रिम ई-निविदा सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की आधिकारिक वेबसाइट एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल पर प्रकाशित की जायेगी, जो बिक्री शर्तों का भाग होंगी। अग्रिम ई-निविदा सूचना में निविदा की तिथि तथा निविदा डालने तथा खोलने का समय अंकित होगा।
4. अग्रिम ई-निविदा मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। किसी भी लौगिंग प्रभाग की किसी भी इकाई के तेन्दूपत्ता के लिये अग्रिम ई-निविदा पोर्टल में निविदायें निर्धारित तिथि तक दी जा सकती हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त अग्रिम ई-निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री इकाईवार की जायेगी तथा प्रत्येक इकाई की अनुमानित उत्पादन की मात्रा नीलाम/निविदा सूचना के साथ संलग्न विक्रय सूची में दी जायेगी। विक्रय सूची एवं निविदा सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in एवं ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <https://upfctendupatta.in/> पर भी उपलब्ध होगी।
6. इकाई की अनुमानित उत्पादन मात्रा का तात्पर्य तेन्दूपत्ते की संग्रहण केन्द्रों (फड़ों) पर एकत्र की जाने वाली 'हरी पत्ती की मात्रा' से है। निविदादाता के साथ तेन्दूपत्ता की अनुमानित उत्पादन मात्रा के लिये अनुबन्ध किया जायेगा। किसी इकाई में अग्रिम ई-निविदा सूचना में अनुमानित मात्रा के अनुसार ही विक्रय मूल्य उ0प्र0 वन निगम को देय है। यदि अनुमानित मात्रा से अधिक तेन्दू पत्ता संग्रहित होता है, तब क्रेता को लाट/इकाई की अनुमानित मात्रा का 10% अधिक उत्पादित मात्रा को लॉट हेतु दिये गए निविदा की दर पर ही स्वीकार किया जाना बाध्यकारी होगा। इससे अधिक उत्पादित मात्रा हेतु क्रेता को विकल्प होगा कि वे इसे स्वीकार करें अथवा नहीं। स्वीकार न करने की स्थिति में उसका निस्तारण वन निगम द्वारा संग्रहित किये गये पत्तों के समान ही किया जायेगा।
7. यदि अनुमानित मात्रा से कम तेन्दूपत्ता संग्रहित होता है तब क्रेता को इकाई के लिए स्वीकृत दर पर वास्तविक उत्पादन के अनुरूप भुगतान करना होगा।
8. अग्रिम ई-निविदा सूचना में दर्शित अनुमानित उत्पादन मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय या टंकण त्रुटि सुधारने का अधिकार उत्तर प्रदेश वन निगम के पास सुरक्षित होगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को स्वीकार करना बाध्यकारी होगा।

9. अग्रिम ई-निविदा में प्रति मानक बोरा की दर से निविदा दी जायेगी। मानक बोरा से तात्पर्य तेन्दूपत्ता की एक हजार हरी गड़्डियों तथा एक गड़ड़ी में पचास तेन्दूपत्ती से है। प्रत्येक गड़ड़ी में कम से कम 50 पत्ती बीड़ी बनाने योग्य होना अनिवार्य है।

10. समस्त तेन्दूपत्ता क्रेताओं को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वन निगम के ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पैन कार्ड संख्या, जी0एस0टी0 संख्या, आधार संख्या, दूरभाष नम्बर एवं ई-मेल पता अनिवार्य रूप से दर्ज कराना होगा तथा तेन्दूपत्ता ई-टेंडर पोर्टल पर पंजीकरण राशि रू0 30,000/- (Refundable) की धनराशि एच0डी0एफ0सी0 बैंक के गेटवे के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में जमा कर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के क्रेतागण ई निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत नहीं होंगे। यदि फिर भी बिना पंजीकरण के किसी क्रेता द्वारा ई निविदा में प्रतिभाग किया जाता है तो उसकी बोली/निविदा स्वतः ही निरस्त/अयोग्य मानी जायेगी।

11. एक ही लाट के लिये लाटरी पद्धति:- यदि ई निविदा की प्रक्रिया में एक ही लाट पर दो या उससे अधिक ई-निविदादाताओं की दरें उच्चतम एवं बराबर प्राप्त होती हैं, तो ऐसी दशा में उस लाट का निस्तारण लाटरी पद्धति के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा, जिसमें महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

12. बंधक धनराशि

किसी भी इकाई की अनुमानित उत्पादन मात्रा के अनुसार निविदादाता को लाट में दी गई बोली (Offer Price) के अनुसार लाट के अनुमानित विक्रय मूल्य का 10 प्रतिशत बंधक धनराशि (EMD) के रूप में जमा करना होगा। क्रेता द्वारा जमा की गई बंधक धनराशि (EMD) के 10 गुना तक की धनराशि "क्रय क्षमता" (Purchasing Capacity) तथा क्रेता द्वारा क्रय क्षमता की धनराशि के 10 गुना तक की धनराशि पर "बोली की क्षमता" (Bidding Capacity) होगी। क्रेता को बंधक धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के एच0डी0एफ0सी0 (HDFC) खाते में ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से जमा करानी होगी। बिना बंधक धनराशि के अग्रिम ई-निविदा स्वीकार नहीं होगी। अग्रिम ई-निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने पर असफल निविदादाताओं की बंधक धनराशि उनके क्रे0वाई0सी0 खाते में वापस कर दी जायेगी, जिस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा सफल निविदादाताओं की बंधक धनराशि का समायोजन जमानत में किया जायेगा।

13. निविदा स्वीकृत की सूचना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही

a- उच्चतम बोली के सफल निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति सक्षम स्तर से ऑनलाइन ई-तेन्दूपत्ता पोर्टल <https://upfctendupatta.in/> वन निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.upforestcorporation.co.in एवं ई-मेल/एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित की जायेगी।

b- (i) निविदा स्वीकृत की सूचना के प्रेषण की तिथि से 30 दिन के अन्दर सफल क्रेताओं को स्वीकृत की गई तेन्दूपत्ता की मात्रा हेतु कुल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना होगा, जिसमें से 15 प्रतिशत जमानत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में आन-लाईन गेटवे के माध्यम से तथा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में निरूपित कर जमा करना होगा। बन्धक धनराशि का समायोजन 15 प्रतिशत की जमानत धनराशि में किया जायेगा।

(ii) यदि क्रेता चाहे तो बैंक एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी के स्थान पर अपने स्वयं अथवा फर्म के खाते का प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के नाम का दिनांक 30 जून का पोस्ट डेटेड चेक जोकि उ0प्र0 राज्य में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का हो, जमा कर अनुबन्ध निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारण्टी दिनांक 30.06.2026 तक क्रेता द्वारा जमा न करने पर चेक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में जमा कर लिया जायेगा। यदि बैंक द्वारा चेक अनादरित कर दिया जाता है तो उस दशा में क्रेता द्वारा किये गये अनुबन्ध का उल्लंघन होगा। ऐसी दशा में उ0प्र0 वन निगम नियमानुसार अग्रेतर/विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) उक्त के अतिरिक्त यदि कोई क्रेता चाहे तो बैंक एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के स्थान पर प्रश्नगत धनराशि का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के बैंक खाते में आनलाईन गेटवे के माध्यम से जमा कर सकता है।

c- अनुबन्ध का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण पर बन्धक धनराशि अधिग्रहीत कर ली जायेगी तथा क्रेता को एक निश्चित अवधि के लिये काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी निरस्त लाटों की पुनर्बिक्री पर वन निगम को हुई हानि क्रेता को वहन करनी होगी। यदि ऐसी हानि की रकम बन्धक राशि से अधिक होने की स्थिति में क्रेता के द्वारा इस सम्बन्ध में मांग सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू-राजस्व की भाँति वसूली योग्य होगी।

d- **फड़मुंशी का कमीशन** : फड़मुंशी द्वारा संग्रहण की गयी गड़िडयों का अभिलेखन संग्रहण पुस्तिका में किया जायेगा। क्रेता द्वारा कय की गयी इकाईयों की फड़ो से सम्बन्धित नियुक्त फड़मुंशी के कमीशन की धनराशि का भुगतान वास्तविक उत्पादन के आधार पर वन निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। संग्रहण पूर्ण हो जाने के पश्चात् वास्तविक संग्रहण के अनुसार फड़ मुंशी के कमीशन की शुद्ध देय धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

e- **(i) लाट हस्तांतरण:-** यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा अनुमानित विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपया 10,000/- (रु0 दस हजार मात्र) जमा करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगी। लाट हस्तांतरण की अनुमति हेतु कोई भी आवेदन संग्रहण अवधि (15 अप्रैल से 30 जून तक) में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ii) हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के सम्बन्ध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांतरण ग्राही क्रेता सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय में लाट का अनुबन्ध निष्पादित नहीं कर देता है।

तेन्दूपत्ते का संग्रहण, प्रसंस्करण, हस्तान्तरण, परिवहन एवं भण्डारण की प्रक्रिया

14. इकाईयों के अर्न्तगत निर्धारित संग्रहण केन्द्रों (फडों) पर फड़मुंशी एवं इकाई अधिकारियों के माध्यम से संग्रहण का कार्य सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु पर्यवेक्षणीय दायित्वों एवं संग्रहण के समुचित क्रियान्वयन हेतु सेक्शन अधिकारी/इकाई अधिकारी की तैनाती प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।
15. तेन्दूपत्ता संग्रहण अवधि में संग्रहणकर्ताओं के पारिश्रमिक का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा।
16. तेन्दूपत्ता श्रमिकों को नगद धनराशि के पारिश्रमिक का भुगतान (उ०प्र० वन निगम के सक्षम स्तर से निर्धारित सीमा तक) उ०प्र० वन निगम द्वारा तेन्दूपत्ता श्रमिकों को सीधे किया जायेगा।
17. संग्रहण सीजन में क्रेता को सम्बन्धित इकाई की फडों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा अथवा अपना प्रतिनिधि रखना होगा जो फडों पर आ रही तेन्दूपत्ता की हरी गड्डियों का निरीक्षण कर फड़मुंशी से संग्रहण अभिलेखों के अनुसार अगले दिन प्राप्ति स्वीकार करेगा। लाट में क्रेता को परिदत्त मात्रा को ही अन्तिम माना जायेगा।
18. क्रेता या उसके प्रतिनिधि को संग्रहण पुस्तिका में दर्ज विवरण के अनुसार फड़मुंशी द्वारा कय की गई तेन्दूपत्ता मात्रा की प्राप्ति लेनी होगी एवं तेन्दूपत्ते के हस्तांतरण के तुरन्त बाद उसकी प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित फड़ मुंशी/इकाई अधिकारी को देनी होगी। फड़ पर आ रहे तेन्दूपत्ता गड्डियों में पत्ते की संख्या या गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई असहमति या विवाद होने पर उस पत्ते को अलग रखवा दिया जायेगा तथा उच्च अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, द्वारा अधिकृत अधिकारी के 48 घण्टे के अन्दर निरीक्षण के उपरान्त उसका निर्णय अन्तिम व क्रेता को मान्य होगा।
19. तेन्दूपत्ता की फड़ पर सुखाई के दौरान उल्टाई, पल्टाई, उपचार एवं अन्य रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य स्वयं क्रेता को करवाने होंगे तथा उसका व्यय स्वयं वहन करना होगा। क्रेता द्वारा तेन्दूपत्ते की कश्ती न करवाने, वर्षा से संग्रहित पत्ते के बचाव के पर्याप्त उपाय न करने, अथवा अन्य किसी कारण से बोरों में संग्रहित पत्तों की गुणवत्ता कम हो जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
20. तेन्दूपत्ता की कश्ती एवं बोरा भराई के लिये उपयुक्त बोरा, सुतली, तिरपाल आदि की व्यवस्था सम्बन्धित क्रेता द्वारा स्वयं की जायेगी। संग्रहण से पूर्व बोरों पर इकाई का नाम, संग्रहण वर्ष, फड़ का नाम, क्रेता का विवरण, बोरा क्रमांक इत्यादि विवरण उ०प्र० वन निगम द्वारा निर्धारित स्टैन्सिल प्रारूप के अनुसार बोरों पर छपान कराना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य बोरों का प्रयोग वर्जित होगा। उ०प्र० वन निगम द्वारा तय किये गये स्टैन्सिल तथा रंग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के स्टैन्सिल, रंग अथवा बोरों पर विवरण अंकित पाये जाने की स्थिति में ऐसे बोरो को अवैध मानते हुए यथोचित विधिक कार्यवाही की जायेगी।
21. तेन्दूपत्ता गड्डियों के बोरों में कश्ती के उपरान्त क्रेता द्वारा अपने व्यय पर वन निगम द्वारा पूर्व से निर्दिष्ट तेन्दूपत्ता गोदाम में ढुलान एवं भण्डारण कराना होगा।
22. फड़ से गोदाम तक ढुलान के लिये क्रेता द्वारा केवल उ०प्र० वन निगम द्वारा निर्धारित रवन्ना प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा। संग्रहण/ढुलान एवं गोदाम में भण्डारण के दौरान तेन्दूपत्ता की सुरक्षा

एवं रख-रखाव का पूर्ण दायित्व क्रेता का होगा। तेन्दूपत्ता संग्रहण/दुलान एवं भण्डारण के दौरान हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

23. गोदाम में तेन्दूपत्ते का भण्डारण क्रेता की अभिरक्षा, देख-रेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नियन्त्रण में रहेगा। क्रेता आवश्यकतानुसार पत्ती के अनुरक्षण/उपचार की कार्यवाही गोदाम अधिकारी की उपस्थिति में कराते रहेंगे, जिसका व्यय भार क्रेता को ही वहन करना होगा।
24. अग्रिम बिक्री प्रक्रिया के तहत बिक्री की गयी लाटों/इकाईयों के पत्तों का गोदाम में भण्डारण से पूर्व 2% की सीमा तक बोरों की रेण्डम आधार पर चेकिंग की कार्यवाही सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा की जा सकेगी। किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की स्थिति में यथोचित कार्यवाही किए जाने की बाध्यता होगी।
25. तेन्दू पत्ता भण्डारण हेतु उ0प्र0 वन निगम द्वारा निर्दिष्ट गोदामों का किराया सम्बन्धित क्रेता/क्रेताओं द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। प्रत्येक गोदाम पर क्रेता व वन निगम के सयुक्त ताला लगाया जायेगा।
26. गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ता की सम्पूर्ण मात्रा का बीमा माह जुलाई में कराया जाना अनिवार्य है एवं गोदाम के बीमा का व्यय सम्बन्धित क्रेताओं को वहन करना होगा। गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते एवं गोदाम की हुई किसी भी क्षति/जोखिम के लिये उ0प्र0 वन निगम उत्तरदायी नहीं होगा। बीमा न कराये जाने की स्थिति में यदि भण्डारित तेन्दूपत्ते में किसी प्रकार की हानि होती है तो क्रेता को काली सूची में डालते हुए लॉट के सम्पूर्ण मूल्य की वसूली क्रेता से किये जाने की बाध्यता होगी।

तेन्दूपत्ते के कय मूल्य का भुगतान एवं निकासी

27. क्रेता को तेन्दूपत्ता की निकासी नियमानुसार गोदाम से ही दी जायेगी। निकासी लेने से पूर्व क्रेता को सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को लिखित आवेदन देकर निकासी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
28. क्रेता को कय मूल्य का भुगतान समस्त देय करें सहित धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाते में आन-लाईन गेटवे के माध्यम से निम्नानुसार चार बराबर किश्तों में जमा करना होगा:-

अ- प्रथम किश्त	-	5 अक्टूबर
ब- द्वितीय किश्त (प्रथम किश्त के 45वें दिन)	-	20 नवम्बर
स- तृतीय किश्त (द्वितीय किश्त के 45वें दिन)	-	04 जनवरी
द- चतुर्थ किश्त (तृतीय किश्त के 45वें दिन)	-	19 फरवरी

यदि क्रेता उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में किश्त की देय तिथि तक किश्त की धनराशि जमा नहीं करता है तो किश्त की देय तिथि से 07 दिन के अन्दर बिना कोई विलम्ब शुल्क दिये क्रेता किश्त जमा कर सकता है।

29. यदि कोई क्रेता प्रथम किश्त की अवधि में ही उसके द्वारा कय की गई इकाई के तेन्दूपत्ता के लिये सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करता है तो उसे कय मूल्य की राशि पर एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा ऐसी स्थिति में वह सम्पूर्ण संग्रहित पत्तों की निकासी ले सकता है। किश्तों में भुगतान की स्थिति में यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

30. क्रेता द्वारा अन्य किसी किश्त की देय तिथि से पूर्व लाट का सम्पूर्ण क़य मूल्य एवं उस पर देय समस्त करों की राशि का भुगतान जमा कर पत्ते की निकासी ली जा सकती है।
31. यदि क्रेता निर्धारित समय सीमा में देय मूल्य, कर एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो क्रेता देय विक्रय मूल्य पर ₹0.05 प्रति सैकड़ा प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क सहित देय धनराशि अनुबन्ध की समय सीमा तक जमा कर सकता है। इसके उपरान्त बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की बन्धक धनराशि, अन्य जमा धनराशि एवं अवशेष तेन्दूपत्ता की मात्रा, वन निगम द्वारा जब्त करते हुए क्रेता व उसके फर्म को काली सूची में डाला जायेगा। विशेष परिस्थितियों में महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उ०प्र० वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।
32. प्रत्येक किश्त का कर सहित समस्त भुगतान करने की दशा में क्रेता द्वारा उतने बोरो की निकासी ली जा सकती है।
33. किसी भी दशा में क्रेता को गोदाम से क्रेडिट निकासी नहीं दी जायेगी। गोदाम से निकासी लेने के लिये क्रेता को सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक की लिखित अनुमति एवं निश्चित समय अवधि के लिये तेन्दू पत्ता विनियमन 1972 के अनुसार वन विभाग/वन निगम से निर्गत परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा। इस निकासी अवधि की सीमा में ही गोदाम अधिकारी द्वारा तेन्दूपत्ता की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य दी जायेगी।
34. सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देने के पश्चात क्रेता अपनी सुविधा अनुसार उसके द्वारा क़य किये गये क्षेत्र से उत्पादित लाट की निकासी ले सकता है। प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक निकासी देते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रेता के ऊपर गोदाम किराया अथवा अन्य कोई देयता नहीं है। क्रेता पर देयता होने की स्थिति में यह क्रेता का उत्तरदायित्व होगा कि वे सभी देयकों का भुगतान कर निकासी हेतु आवेदन करें। ऐसा न किये जाने की स्थिति में गोदाम में संग्रहित पत्तों की गुणवत्ता में कमी के कारण मूल्य में कमी, गोदाम किराया एवं अन्य किसी प्रकार का व्यय अथवा देयता की प्रतिपूर्ति का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा एवं प्रतिपूर्ति किये बिना किसी भी हालत में निकासी नहीं दी जायेगी।

समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिक्री का निरस्तीकरण तथा क्रेता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना

35. (अ) शर्त सं० 28 के अनुसार यदि क्रेता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नहीं करता है या निर्धारित तिथि के अनुसार बढ़ाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किश्त जमा नहीं करता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। क्रेता को उसकी लाट की बिक्री निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नहीं होगा।
- (ब) शर्त 35(अ) के अनुसार यदि किसी लाट की बिक्री निरस्त कर उसकी पुनः बिक्री की जाती है तो बिक्री के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर अन्तर की धनराशि तथा उस पर देय जी०एस०टी० की धनराशि की वसूली हेतु प्रथम क्रेता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन उक्त क्रेता की निगम में जमा वापसी योग्य अन्य

कोई धनराशि यदि हो, से की जायेगी। परन्तु पुनर्बिक्री के उपरान्त कम मूल्य से अधिक धनराशि प्राप्त होती है तो क्रेता का इस अधिक धनराशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(स) यदि शर्त संख्या- 35(ब) में उल्लिखित प्रक्रिया के उपरान्त भी निगम को कम प्राप्त हो रहे मूल्य की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो, ऐसी आर्थिक हानि की वसूली एवं उस पर देय जी०एस०टी० सहित क्रेता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी। हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

हानि की धनराशि = सम्बन्धित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित सम्भावित प्राप्तियाँ + पुनर्बिक्री तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय-आगामी निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियाँ - अधिहारित की गयी बन्धक/जमानत/प्रतिपूर्ति निक्षेप से प्राप्त राशि

कर भार:-

36. (अ) भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिक्री पर नियमानुसार क्रेता से आयकर की वसूली की जायेगी।
(ब) शर्त सं० 36 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिक्री पर अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी भी वसूली संबंधित क्रेता से की जायेगी।
(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की निर्धारित दरों पर वसूली क्रेता से की जायेगी।
37. यह स्पष्ट किया जाता है कि उ० प्र० में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है, इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व क्रेता का होगा। साथ ही वन निगम के अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय संग्रहण से लेकर निस्तारण तक तेन्दूपत्ता जांच कर नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। इस पर क्रेता की आपत्ति मान्य नहीं होगी। जांच कार्यवाही में अनियमितता पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का वन निगम का पूर्ण अधिकार होगा।
38. किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित क्रेता/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
39. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकीदारी में प्रतिभाग करते हैं तो उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि अनुबन्ध होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
40. ऐसे फर्म/संस्था जिन्हें काली सूची में डाला गया है, के प्रोपराइटर अन्य किसी नाम से फर्म अथवा संस्था पंजीकृत कराकर ई-निविदा में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित होंगे। इसी प्रकार काली सूची में फर्मों के प्रोपराइटर अन्य किसी फर्म के प्रतिनिधित्व करने से भी प्रतिबंधित होंगे।
41. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम लखनऊ के पास सुरक्षित होगा। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

42. तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री से सम्बन्धित न्यायिक विवाद केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त बिक्री से सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक का कार्यालय आता हो।
43. तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम लखनऊ "आर्बीट्रेटर" होंगे, जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
44. उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में समय-समय पर यदि किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिये प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वन निगम अधिकृत होंगे।

उत्तर प्रदेश वन निगम